

# मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक 17/2019-20/36

दिनांक 3/12/2019

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
संभाग..... (समस्त)

अधीक्षण अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
वृत्त..... (समस्त)

अधिशायी अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
खण्ड..... (समस्त)


विषय:- विभाग में राज-काज प्रोग्राम लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में राज्य के सभी विभागों में राज-काज प्रोग्राम लागू किया जाना है। अतः विभाग में राज-काज के मॉड्यूल File & Dak Management को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जावेगा।

अतः समस्त संभाग/वृत्त/खण्ड कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राज-काज प्रोग्राम को विभाग में लागू करने हेतु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय



(अक्षय कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम  
सा0नि0विभाग, राज0, जयपुर।

e-Mail: taeas.pwd@rajasthan.gov.in

दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव, सा0नि0विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता(पथ)/भवन/पीएमजीएसवाई/एनएच/विद्युत/क्यूसी, सा0नि0विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर0एस0आर0डी0सी0सी0 लि0, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, सा0नि0विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, सा0नि0विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता(प्रशासन)/बीओटी, सा0नि0विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (पथ)/भवन/पीएमजीएसवाई/एनएच/एसएस, राजस्थान, जयपुर।
8. अधिशायी अभियन्ता (मुख्यालय), सा0नि0विभाग, राजस्थान, जयपुर।

